

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21425 सन् 2026

रामवीर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता	:	अंजनी कुमार सिंह, स्तुति मिश्रा
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

- आवेदक की ओर से श्री अंजनी कुमार सिंह तथा राज्य की ओर से विनय कुमार पाण्डेय को सुना गया।
- यह बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अंतर्गत आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 200 सन् 2025, बी.एन.एस. की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 126(2), थाना-कपूरपुर, जनपद-हापुड़ में जमानत हेतु प्रस्तुत आवेदन है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि श्रीमती संतोष ने आवेदक तथा अन्य के विरुद्ध थाना कपूरपुर, जनपद हापुड़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0200 सन् 2025, दिनांक 18.09.2025 को 19:36 बजे, बी.एन.एस. की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) एवं 126(2) के अंतर्गत इस आरोप के साथ दर्ज कराई कि प्रथम सूचनाकर्त्री के स्वामित्व वाली भूमि के एक भाग को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तों ने कपटपूर्वक विक्रय कर दिया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक निर्दोष है, वह मात्र हाशिया साक्षी है और अशिक्षित होने के कारण उसे उक्त तिथि को किए गए हस्ताक्षरों तथा उस संबंध में किए गए उल्लेख की जानकारी नहीं थी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि सह-अभियुक्त गोपाल को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 4905 सन् 2026 में जमानत प्रदान की गई है; राजकुमार को भी आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 6667 सन् 2026 में जमानत प्रदान की गई है और यहां तक कि सोनू को भी आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 4518 सन् 2026 में जमानत प्रदान की गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 04.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है।
- दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का कथन है कि चाहे जो भी हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम अभियुक्त के रूप में अंकित है।
- प्रतिद्वंद्वी पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए, प्रथमदृष्टया आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है, क्योंकि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 04.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है।
- आवेदक-रामवीर को मुकदमा अपराध संख्या 200 सन् 2025, बी.एन.एस. की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 126(2), थाना-कपूरपुर, जनपद-हापुड़ में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-



(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा अथवा साक्षियों को धमकी नहीं देगा।

(ii) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, वह कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर विचारण न्यायालय को इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश पारित करने की स्वतंत्रता होगी।

(iii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने की दशा में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iv) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(v) आवेदक (i) वाद प्रारंभ किए जाने, (ii) आरोप विरचित किए जाने तथा (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान अभिलिखित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय को ऐसे उल्लंघन को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

9. यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रतिभुओं को स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित प्राधिकारी द्वारा उनकी पहचान, स्थिति एवं निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन होने पर विचारण न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी। आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई कोई भी टिप्पणी, साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेगी।

11. आवेदक प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को संबंधित पुलिस थाने के समक्ष उपस्थित होगा।

12. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

24 जून, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"